न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/11/2022	2022/26	04.02.2022	20.06.2023

1. छुटटन पुत्र चन्दर नाथ,
2. मुकेश,
3. रामावतार पुत्रान लालाराम,
4. बाबूलाल,
5. खगेश पुत्रान रमेश,
6. कालूराम,
7. पप्पूराम,
8. खुटाराम पुत्रान चन्दरनाथ, जातियान जोगी निवासीयान ग्राम इन्दौक, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज0।

अपीलाण्ट

बनाम

1. अर्जुन,
2. जयराम पुत्रान इसर,
3. रामकेश,
4. हरकेश पुत्रान रामकृपाल, जातियान मीणा निवासीयान ग्राम इन्दौक तहसील मालाखेडा, जिला अलवर, राजस्थान।
5. तहसीलदार पदेन कार्यपालक मजि0, मालाखेडा, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 16.03.2020 अन्तर्गत घारा 183बी आर टी एक्ट

उपस्थितः–

01. श्री पवन सिंह चौहान – वकील अपीलाण्ट
02. श्री सचिन खत्री – रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 16.03.2020 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी वाके ग्राम इन्दौक से व्यथित होकर पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण की ओर से अपीलार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र संख्या 13 दिनांक 23.04.2019 को तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर के समक्ष अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नं0 1328 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम इन्दौक तहसील मालाखेडा के अर्जुन, जयराम पुत्रान इसर मीणा व अन्य के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी के वह रिकॉर्डेड खातेदार है, आराजी पर अपीलार्थीगण/गैरसायलान ने जबरन कब्जा कर लिया है तथा दुकानात व मकानात बनाकर रह रहे है तथा भूमि के कुछ हिस्सों को जुताई कर कब्जा किये हुए है। उक्त आराजी गैर मुमकिन आबादी की भूमि है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस कमजोर व सीधे साधे व्यक्ति है जो लडाई झगडा नहीं चाहते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि धारा 183बी आरटी एक्ट की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाते हुए प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस को कब्जा दिलवाया जावे। जिस प्रार्थना पत्र के विरूद्व हम अपीलान्ट ने तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 मर्यादा अधिनियम 1983 के तहत पेश करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण अर्से दराज से काबिज दाखिल रहकर मकानात इत्यादी बनाकर रह रहे है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 लगायत 2019 में मु0 धापा बेवा नारायण जोगी काश्तकार का नाम अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 में चन्दरनाथ पुत्र झब्बूनाथ मु0 धापा बेवा नारायण जागी के नाम बेकाश्त दर्ज है। जिससे यह साबित होता है कि असल रेस्पोडेंटस व उनके बुजुर्गो के नाम उक्त आराजी कभी नहीं रही है और ना ही रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण विवादित आराजी पर कभी काबिज दाखिल रहे है। सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा गलती से व सहबन पूर्वक सेटलमेंट सम्वत 2020 यानि सन् 1963 में असल रेस्पोडेंटस व उनके बुजुर्गो के नाम विवादित आराजी का अमल कर दिया गया था। जिसकी जानकारी असल रेस्पोंडेंटस व उनके बुजुर्गों को आरम्भ से रही हैं। असल रेस्पोडेंटस के बुजुर्गो ने यह पाया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट की त्रुटि से उनके नाम अमल में आई है असल रेस्पोडेंटस रामकेश व हरकेश के पिता श्री कृपाल पुत्र इसर मीणा निवासी इन्दौक द्वारा एक हलफनामा दिनांक 31.01.1987 को इस आशय का तहरीर व तकमील किया गया कि आराजी साबिक खसरा नं0 1189 जिसके हाल नं0 1085 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम इन्दौक इसके पिता इसर पुत्र भौरा मीणा के नाम बंदोबस्त फार्म में गलत व खिलाफ मौका दर्ज हो गयी है। इसर का स्वर्गवास हो चुका है। इस आराजी पर चन्दरनाथ पुत्र झब्बूनाथ निवासी इन्दौक होटल के रूप में मकानात बनाकर 30 साल से अधिक समय से परिवार सहित रिहायस व कारोबार कर रहे है। इसी आराजी पर इसर पुत्र भौरा ने कभी भी काश्त नही की और ना ही कृपाल व उसके बुजुर्गान उक्त आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध व ताल्लुक रहा है। इस आराजी पर अर्से दराज से चन्दरनाथ काबिज दाखिल है। इस आशय का एक शपथ पत्र मु0 रामप्यारी बेवा इसर मीणा ने दिनांक 20.02.1987 को तहरीर तकमील कर निष्पादित किया। कृपाल पुत्र इसर मीणा ने उक्त हल्फनामा तत्कालीन प्रचलित स्टाम्प 5 रू पर निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक विरेन्द्र सिंह बधावा से सत्यापित कराया तथा इसी कदर मु0 रामप्यारी बेवा इसर मीणा ने उक्त शपथ पत्र स्टाम्प कीमत 4 रू 50 पैसे पर निष्पादित किया। जो नोटेरी पब्लिक विरेन्द्र सिंह बधावा द्वारा तस्दीक किया गया। मर्यादा अधिनियम की अनुसूची प्रथम के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के लिए बार्ड की मर्यादा 12 साल है। इसीलिए प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस का प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के कारण खारिज किये जाने के योग्य था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

183बी के तहत वाद प्रस्तुत करने की अवधि 12 वर्ष है लेकिन रेस्पोडेंटस ने अपना वाद मियाद बाहर व गलत तथ्यों पर व गैर कानूनी रूप से पेश किये जाने से खारिज किया जाना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपील निर्णय दिनांक 26.03.2020 के आराजी खसरा नं0 1328 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम इन्दौक (माधोगढ) से बेदखल करने के आदेश पारित किए गए है। ग्राम इन्दौक तहसील मालाखेडा जिला अलवर का ग्राम जागीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम सन् 1959 से प्रभावी हुआ और कानून के मुताबिक जो व्यक्ति उस समय जागिरदारी, विश्वेदारी की आराजी पर बतौर काश्तकार वास्तविक रूप से काबिज थे उन काश्तकारो को कानूनन स्वतः ही खातेदार अधिकार प्राप्त हो गए। इन तथ्यों पर न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया जिससे विवादित आदेश काबिल अपास्त है। स्व0 इसर पुत्र भौरया मीणा का नाम बंदोवस्त विभाग के कर्मचारियों ने खिलाफ कानून मिसल सम्वत 2020 वाके ग्राम इन्दौक में बतौर खातेदार कर दिया। सेटलमेंट विभाग को बगैर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड जो स्व0 चन्दर मीणा के नाम बतौर खातेदार बंदोबस्त विभाग द्वारा दर्ज किया गया है वह Abinissue void है जिसका कानून में कोई महत्व नही है। स्व0 चन्दरनाथ पुत्र झब्बूनाथ ने अपने मालिकाना हक की जमीन पर दिनांक 07.08.1960 को एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अकबरपुर के समक्ष पेश कर उसकी मालिकाना हक व कब्जेशुदा भूमि पर दुकाने व मकान व बाडा बनाने की स्वीकृती के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके साथ नक्शा ब्लू प्रींट भी पेश किया गया था। ग्राम पंचायत अकबरपुर के सरपंच व अन्य पंचों ने सर्वसम्मती से दिनांक 02.10.1960 को चन्दरनाथ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया इसके बाद ग्राम इन्दौक ग्राम पंचायत माधोगढ मे सम्मिलित हो गया। ग्राम पंचायत अकबरपुर का आदेश दिनांक 02.10.1960 व स्वीकृति के आधारा पर ग्राम पंचायत माधोगढ द्वारा स्वीकृत नक्शा एक कानूनी निर्णय है जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए है ग्राम पंचायत के आदेश व स्वीकृत नक्शे को किसी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक रेस्पोडेंटस द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है इन तथ्यों पर न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया जिससे विवादित आदेश काबिल अपास्त है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 16.03.2020 को अपास्त फरमावें।

रेस्पोडेंटस वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि आ0 ख0 नं0 1328 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम इन्दौक में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–77 के आराजी ख0नं0 1328 रकबा 0.11 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर रामकृपाल पुत्र इसर हिस्सा 1/3, अर्जुन पुत्र इसर हिस्सा 1/3 व जयराम पुत्र इसर साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलान्ट द्वारा जो कथन किया गया है कि सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से रेस्पोडेन्टस के नाम लिख दिया गया था यह कहना कानूनन गलत है। रेस्पोडेंटस बतौर खातेदार होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है। यह कहना भी उचित नही है कि श्रीमती रामप्यारी व रामकृपाल ने कोई हल्फनामा अपीलान्ट के हक में दिया गया हो वैसे भी हल्फनामे के आधार पर खातेदारी हक हकूक स्थानान्तरित नही होते है (सेक्शन 42 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1956) में लागू नहीं होते है। अनुसूचित जनजाति की जमीन पर टीनेसी एक्ट की धारा 42 ए के अन्तर्गत किसी भी सूरत में गैर अनुसूचित जनजाति के पक्ष हस्तान्तरित नही की जा सकती ना हो सकती है क्योंकि सायल खातेदार काश्तकार है उनकी भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती। मु0 धापा बेवा नारायण जोगी गैर मौरूसी काश्तकार बतौर नाम दर्ज है नियमानुसार गैर मौरूसी के पास ना तो खातेदार अधिकार प्राप्त होते है और ना ही काश्तकारी अधिकार होते है।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

(जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम सन् 1959) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधिसम्मत पारित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील रेस्पोडेंटस की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा रेस्पोडेंटस उक्त विवादित आराजी ख0 नं0 1328 रकबा 0.11 है0 के खातेदार काश्तकार हैं, अनुसूचित जनजाति की खातेदारी की भूमि पर दिगर व्यक्तियों का अतिक्रमण होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट द्वारा सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से सहवन से रेस्पोडेटस के बुजुर्गान के नाम दर्ज हो गया हो के सम्बन्ध में अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए थी जो अपीलान्ट द्वारा नहीं की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हल्फनामों के आधार पर खातेदारी आदेश प्रोद्भूत नहीं होते है। उक्त सभी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)